सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

26 पौष, 1940 (श०)

संख्या- 127 राँची, शुक्रवार, 15 फरवरी, 2019 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

13 फरवरी, 2019

संख्या-एल० जी०-29/2018-240/लेज०,-- झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर माननीया राज्यपाल दिनाँक 07 फ़रवरी, 2019 को अनुमति दे चुकी है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है |

झारखंड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2018

(झारखंड अधिनियम 06 , 2019)

जबकि राज्य के शिक्षकों के हित तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) के मापदण्ड को ध्यान में रखकर शिक्षक को पुनः परिभाषित किया जाय;

और, जब किलिंग आधारित उपस्थिति पंजी में अंतर को भरने के हित में यह अतिसमीचीन है कि एक महिला विश्वविद्यालय कि स्थापना की जाए;

और, जबकि राज्य के शैक्षणिक हित में यह अतिसमीचीन है कि राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं प्रतिकुलपति की नियुक्ति के प्रावधान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित

मापदण्ड तथा झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) के मानदण्ड के अनुरूप हो;

और, जबकि यह राज्य के शैक्षणिक हित में है कि विश्वविद्यालय के अधिषद की आजीवन सदस्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक राशि को आज के मौद्रिक मूल्य को ध्यान में रखते हुए ऊपर की तरफ पुनरीक्षित किया जाए;

और, जबकि नये परिपेक्ष्य में राज्य के संबद्ध महाविद्यालयों (धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) में शिक्षकों केप्रोन्नति के लिए प्रावधानों के गठन की आवश्यकता है;

अतएव, भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो-

अध्याय-01

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ

(i) यह अधिनियम, "झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जा सकेगा।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह तुरंत प्रभावी होगा।

अध्याय-02

2. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) के धारा-2 के उपधारा-(v)(वी) का प्रतिस्थापनः-

वर्त्तमान धारा-2 की उपधारा (v) का प्रावधानः-

2 (v) शिक्षक में प्राचार्य, विश्वविद्यालय के आचार्य, कॉलेज के आचार्य, उपाचार्य, व्याख्याता, जो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभाग, महाविद्यालय अथवा संस्थान में अध्यापन का कार्य करते हो, शामिल है।

निम्नलिखित प्रावधान से प्रतिस्थापित हो

2 (v) शिक्षक में प्राचार्य, विश्वविद्यालय के आचार्य, कॉलेज के आचार्य, उपाचार्य/ सह-प्राध्यापक/व्याख्याता सेलेक्शन ग्रेड/व्याख्याता सिनियर ग्रेड और व्याख्याता/सहायक प्राध्यापक (स्तर i,ii, एवं iii) जो कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभाग, महाविद्यालय अथवा संस्थान में अध्यापन का कार्य करते हो, शामिल है।

3. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) के धारा-3 (विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संयोजन) की उपधारा(1) (q) का समावेशन।

निम्नलिखित प्रावधान से समावेशित होः-

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित), की धारा-3 की उपधारा (1) (p) के अंत में निम्नलिखित उपधारा (1) (q) के रूप में समावेश किया जायेगा।

''3(1)(q) जमशेदपुर वीमेन्स कॉलेज, जमशेदपुर को स्तरोन्यन कर "जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर" होगा एवं जिसका मुख्यालय जमशेदपुर में होगा।"

4. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) के धारा-10की उपधारा-(1) अन्तर्गत धारा-10 की उपधारा-(1)(i) के रूप में समावेशन।

वर्त्तमान धारा 10 की उपधारा (1) का प्रावधानः-

"ऐसा कोई भी व्यक्ति कुलपति के पद के लिए योग्य नहीं होगा, जो कि कुलाधिपति की राय में अपनी विद्वता तथा शैक्षणिक अभिरूचि के लिए विख्यात नहीं हो।

इसके आगे यह वांछनीय होगा कि व्यक्ति को सरकार अथवा विश्वविद्यालय के स्तर पर प्रशासकीय अनुभव हो"।

निम्नलिखित प्रावधान से समावेशित होः-

10 (1)(i) कुलपति का चयन एक खोज समिति द्वारा समुचित चिन्हितिकरण करके 3-5 नाम वाले पैनल से एक सार्वजनिक अधिसूचना या मनोनयन या एक टैलेंट सर्च प्रक्रिया या इन दोनों विधियों की प्रक्रिया के जरिए चिन्हित किया जायेगा । उपर्युक्त खोज समिति के सदस्य किसी भी रूप में संबंधित विश्वविद्यालय से या उसके महाविद्यालयों से संबद्ध नहीं होंगे।

राज्य के विश्वविद्यालयों हेतु खोज समिति का गठन निम्नवत् होगा:-

क कुलाधिपति द्वारा नामित एक व्यक्ति, जो कि समिति का अध्यक्ष होंगे।

ख. कुलाधिपति द्वारानामित एक प्रतिष्ठित प्रख्यात शिक्षाविद् - सदस्य

ग. राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले एक पदाधिकारी - सदस्य

5. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) के धारा-10 की उपधारा-(2) का प्रतिस्थापन एवं समावेशन।

वर्त्तमान धारा 10 की उपधारा (2)का प्रावधानः-

"कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से की जायेगी।"

निम्नलिखित प्रावधान से प्रतिस्थापित होः-

धारा-10 की उपधारा-2 का प्रतिस्थापन

"धारा 10(2)(i)-कुलाधिपति खोज समिति द्वारा अनुशंसित नामों के पैनल में से राज्य सरकार के परामर्श से कुलपति की नियुक्ति करेंगे।"

धारा-10 उपधारा-(2) में समावेशनः-

"10(2)(ii) खोज समिति द्वारा अनुशंसित पैनल 01 वर्ष के लिए वैध होगा, जिससे कि एक वर्ष के अंदर ऐसी स्थिति में, जिसमें नियुक्त व्यक्ति प्रथम द्रष्टया में योगदान नहीं दे, कुलपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा उसे अधिनियम के प्रावधान के अनुसार हटाया गया हो, कुलाधिपति इस पैनल से राज्य सरकार के परामर्श के पश्चात् कुलपति की नियुक्ति करेंगे।"

6. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) के धारा-10 की उपधारा-(3)(b) में प्रतिस्थापन:-

वर्त्तमान धारा 10 की उपधारा (3)(b)काप्रावधानः-

"इस धारा में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सामान्यतः कुलपति की पदावधि तीन वर्षों की होगी और कथित पदावधि की समाप्ति के पश्चात् वे राज्य सरकार के परामर्श से

कुलाधिपति द्वारा पुनर्नियुक्त किये जा सकेंगे और वे कुलाधिपति के इच्छा पर पद पर अधिकतम तीन वर्षों तक आसीन रह सकेंगे।''

निम्नलिखित प्रावधान से प्रतिस्थापित होः-

धारा 10की उपधारा(3)(b) का प्रतिस्थापनः-

''10 (3)(b) ''इस धारा में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सामान्यतः कुलपति की पदावधि तीन वर्षों की होगी। कुलपति के पद पर आवेदन के लिए आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होगा। पदावधि के समाप्ति के बाद वे कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार के परामर्श तथा कुलाधिपति के इच्छा पर, अधिकतम तीन वर्षों या 70 वर्ष की आयु जो पहले हो, के लिए पद पर पुनर्नियुक्त किये जा सकेगें।''

7. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) के धारा-10 की उपधारा-(4)(ii)में प्रतिस्थापन:-

वर्तमान धारा-10 की उपधारा-(4)(ii) का प्रावधान

''यदि कुलपति के रूप में नियुक्त व्यक्ति केन्द्र या राज्य सरकार या किसी विश्वविद्यालय से या किसी अन्य स्रोत से पेंशन पाता हो, वहाँ उस देय पेंशन की राशि को उन्हें देय पेंशन का अंश माना जायेगा।''

धारा-10 कीउपधारा-(4) (ii) में प्रतिस्थापित हो

''यदि कुलपति के रूप में नियुक्त व्यक्ति केन्द्र या राज्य सरकार या किसी विश्वविद्यालय से या किसी अन्य स्रोत से पेंशन पाता हो, वहाँ उस देय पेंशन की राशि को उन्हें देय वेतन एवं भत्ता का अंश माना जायेगा।''

8. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) के धारा-12 की उपधारा-(1) का प्रतिस्थापनः-

वर्त्तमान धारा 12 की उपधारा (1) का प्रावधानः-

''कुलाधिपति राज्य सरकार के परामर्श से प्रतिकुलपति की नियुक्ति करेगें।''

निम्नलिखित प्रावधान से प्रतिस्थापित होः-

धारा-12की उपधारा (1) का प्रतिस्थापन

''कुलाधिपति राज्य सरकार के परामर्श से ''कुलपति की नियुक्ति के लिए यथा विहित रीति से ही, प्रतिकुलपति की नियुक्ति करेंगे।''

9. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एंव यथा संशोधित) केधारा-18 की उपधारा-(13) का प्रतिस्थापन

वर्त्तमान धारा 18 की उपधारा (13)का प्रावधानः-

''प्रत्येक व्यक्ति, जिसने कुलाधिपति की संतुष्टि के अनुसार एक या अधिक किस्तों में कम से कम एक लाख रूपये नगद अथवा समकक्ष मूल्य की सम्पत्ति विश्वविद्यालय अथवा किसी महाविद्यालय को अथवा उनके हितों के लिए दिया हो।

बशर्ते कि कामेश्वर सिंह, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के आजीवन सदस्य के लिए निहित राशि 25,000 रूपये होगी।''

निम्नलिखित प्रावधान से प्रतिस्थापित होः-

धारा-18की उपधारा (13) का प्रतिस्थापनः-

"विश्वविद्यालय के अधिषद् के आजीवन सदस्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति, जिसने कुलाधिपति की संतुष्टि के अनुसार दस लाख रूपये नगद अथवा समकक्ष मूल्य की संपत्ति विश्वविद्यालय अथवा किसी महाविद्यालय को अथवा उनके हितों के लिए दिया हो।"

10. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) के धारा-57A की उपधारा-(1) के प्रावधान के निम्न अंश का प्रतिस्थापन

"संबद्ध महाविद्यालयों, जो राज्य सरकार के द्वारा पोषित नहीं है, में शिक्षकों की नियुक्ति झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर शासी निकाय के द्वारा की जायेगी। ऐसे महाविद्यालयों में शिक्षकों की सेवा मुक्ति, सेवा समाप्ति, हटाया जाना, सेवानिवृत्ति या पदावनति शासी निकाय द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग के परामर्श से परिनियम में विहित रीति के अनुरूप की जायेगी।

बशर्ते कि धर्म एवं भाषा के आधार पर संबद्ध अल्पसंख्यक महाविद्यालयों की शासी निकाय शिक्षकों की नियुक्ति, सेवा मुक्ति, हटाया जाना, सेवा समाप्ति या उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कारवाई, झारखण्ड लोक सेवा आयोग के अनुमोदन के उपरान्त कर सकेंगे।

बशर्ते कि जहां परिनिन्दा, वेतन वृद्धि की रोकया दक्षता अवरोध पार करना, और आरोपों के अन्वेषणपूर्ण होने तक निलंबन की स्थिति में झारखंड लोक सेवा आयोग की सलाह की आवश्यकता नहीं होगी।"

57 (A) (1) के उपर्युक्त अंश निम्नलिखित प्रावधान से प्रतिस्थापित होः-

"संबद्ध महाविद्यालयों, जो राज्य सरकार के द्वारा पोषित नहीं है, में शिक्षकों की नियुक्ति झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर शासी निकाय के द्वारा की जायेगी। ऐसे महाविद्यालयों में शिक्षकों की सेवा मुक्ति, सेवा समाप्ति, हटाया जाना, सेवानिवृत्ति या पदावनति शासी निकाय द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग के परामर्श से परिनियम में विहित रीति के अनुरूप की जायेगी।

बशर्ते कि धर्म एवं भाषा के आधार पर संबद्ध अल्पसंख्यक महाविद्यालयों की शासी निकाय शिक्षकों की नियुक्ति, सेवा मुक्ति, हटाया जाना, सेवा समाप्ति या उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कारवाई, झारखण्ड लोक सेवा आयोग के अनुमोदन के उपरान्त कर सकेंगे।

बशर्ते वैसे सम्बद्ध महाविद्यालय जो राज्य सरकार द्वारा पोषित नहीं हो, धार्मिक तथा भाषायी अल्पसंख्यक सहित के शिक्षकों की प्रोन्नति झारखंड लोक सेवा आयोग के अनुशंसा के आधार पर किया जायेगा।

बशर्ते कि जहां परिनिन्दा, वेतन वृद्धि की रोक, या दक्षता अवरोध पार करना, और आरोपों के अन्वेषणपूर्ण होने तक निलंबन की स्थिति में झारखंड लोक सेवा आयोग की सलाह की आवश्यक नहीं होगी।"

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, रांची

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

13 फरवरी, 2019

संख्या-एल० जी०-29/2018- 241/लेज०,-- झारखंड विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीया राज्यपाल द्वारा दिनाँक 07 फ़रवरी, 2019 को अनुमत झारखंड राज्य विश्वविधालय (संशोधन) अधिनियम, 2018 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा |

Jharkhand State University (Amendment) Act 2018
(Jharkhand Act-06 , 2019)

WHEREAS in the interest of teachers and as per the norms of University Grants Commission and Jharkhand State University Act, 2000 (Adapted as Amended) it is necessary that the definition of Teacher should be redefined;

And WHEREAS in the interest of bridging gap in gender enrollment of the State it is most expedient to establish a Women's University;

And WHEREAS in the educational interest of the State it is most expedient to make provisions for appointment to the post of Vice-Chancellor and Pro-Vice Chancellor in the Universities of State in consonance with the prescribed standards of University Grants Commission and the norms of the Jharkhand State University Act, 2000 (Adapted and as Amended).

And WHEREAS in the educational interest of the State it is also expedient to revise upwards the sum required to enable a person to become life member of the University Senate, keeping in view the current fiscal scenario.

And WHEREAS in the new perspective it is necessary to formulate provisions for promotion of teachers in affiliated Colleges, (Including Religious and Linguistic Minority Colleges).

Now therefore,be it enacted by the Legislature of the State of Jharkhand in the Sixty-nineyear of the Republic of India as follows:-

CHAPTER-01

Preliminary

1. **Short title, extent and commencement** –

(i) This Actshall be called Jharkhand State Universities (Amendment) Act, 2018.

(ii) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.

(iii) It shall come into force at once.

CHAPTER-02

2. Substitution of Sub-Section-(V) of Section-2 of Jharkhand State Universities Act, 2000 (Adapted and as Amended)

Existing provision of Sub-Section (v) of Section-2

2 (V)- Teacher includes Principal, University Professor, College Professor, Reader and Lecturer imparting instruction in Department, College or Institute maintained by the University;

Be substituted by the following provision:-

Substitution of Sub-section (V) of Section-2

2 (V)- Teacher includes Principal, University Professor, College Professor, Reader/Associate Professor/Lecturer selection grade/Lecturer senior scale and Lecturer/Assistant Professor (Stage-I, Stage-II and Stage-III) imparting instruction in Department, College or Institute maintained by the University.

3. Insertion of Sub-Section-(1) (q) of Section-3 (Establishment and incorporation of Universities) of Jharkhand State Universities ACT, 2000 (Adapted and as Amended)

Be inserted by the following provision:-

At the end of sub-section-1 (p) of the Section-3 of the Jharkhand State Universities Act, 2000 (Adapted and as amended) hereinafter referred to as the said Act, the following Sub-section will be inserted as sub-section-1 (q):-

"3(1)(q)"Jamshedpur Women's University, Jamshedpur", through the up gradation of Jamshedpur Women's College, Jamshedpur and having its headquarter at Jamshedpur."

4. Insertion of Sub-Section-(1)(i) of Section-10 under Sub-Section-(1) of Section-10 (Vice Chancellor) of Jharkhand State Universities ACT, 2000 (Adapted and as Amended)

Existing provision of Sub-section (1) of Section-10

"**10 (1)** No person shall be deemed to be qualified to hold the office of Vice-Chancellor unless such person is, in the opinion of the Chancellor, reputed for his scholarship and academic interest.

Further, it would be desirable that the person has administrative experience either at the Government or at the University level."

Be inserted by the following provision:-

10 (1) (i) The Selection of Vice-Chancellor should be through proper identification of a panel of 3-5 names by a Search Committee through public notification or nomination or a talent search process or in combination thereof. The members of the above Search Committee shall not be connected in any manner with the University concerned or its colleges.

In respect of State Universities, the following shall be the constitution of the Search Committee.

a. A nominee of the Chancellor would be the Chairperson of the Committee.
b. A nominee of the Chancellor, being an eminent educationist of high repute. - Member
c. An officer representing State Government - Member

5. Substitution and insertion of Sub-section-(2) of Section-10 (Vice-Chancellor) of Jharkhand State Universities ACT, 2000 (Adapted and as Amended)

Existing provision of Sub-section (2) of Section-10

10 (2) "The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government."

Be substituted by the following provision:-

Substitutionof Sub-section (2) of Section-10

10 (2) (i) Chancellor shall appoint the Vice-Chancellor out of the panel of names recommended by the Search Committee in consultation with the State Government.

Insertion in Sub-section (2) of Section-10

10 (2) (ii) The panel recommended by the Search Committee shall be in force for one year to meet out any of the situation of not joining by the person so appointed at the first instance, at the vacation of post of Vice-Chancellor on account of death, resignation or removal of the Vice-Chancellor under the provision of this Act, within one year and the Chancellor shall appoint the Vice-Chancellor from the said panel in consultation with the State Government."

6. Substitution of Sub-Section-(3) (b) of Section-10 of Jharkhand State University Act, 2000 (Adapted and as Amended)

Existing provision of Sub-section (3) (b) of Section-10

"Subject to the foregoing provisions of this section the Vice-Chancellor shall ordinarily hold office for a term of three years and on the expiry of the said term he may be reappointed by the Chancellor in consultation with the State Government and he shall hold office at the pleasure of the Chancellor for a term not exceeding three years."

Be Substituted with the following provision:-

Substitution of Sub-Section (3) (b) of Section-10

10 (3) (b) Subject to foregoing provisions of the section the Vice-Chancellor shall ordinarily hold office for a term of three years.

Provided that the age for applying to the post of Vice-Chancellor shall not exceed 65 years. Ongoing of the said term she/he may be reappointed by the Chancellor in consultation with the State Government and she/he shall hold office at the pleasure of the Chancellor for a term not exceeding three years, or up-to-the age of 70 years whichever is earlier.

7. Substitution of Sub-Section-(4)(ii) of Section-10 ofJharkhand State UniversitiesACT, 2000 (Adapted and as Amended)

Existing provision of Sub-Section (4)(ii) of Section-10

"If the person appointed as Vice-Chancellor receives pension from Central or State Government or any University or any other source then the receivable amount of pension would be considered to be part of his/her receivable pension."

Be substituted by the following provision:-

Substitution of sub-section (4) (ii) of section-10

10 (4) (ii)"If the person appointed as Vice-Chancellor receives pension from Central or State Government or any University or any other source then the receivable amount of pension would be considered to be part of her/his receivable Salary and allowances."

8. Substitution of Sub-section-(1) of Section-12 ofJharkhand State Universities ACT, 2000 (Adapted and as Amended)

Existing provision of Sub-Section (1) of Section-12

"The Chancellor shall appoint the Pro-Vice-Chancellor, in consultation with the State Government."

Be substituted by the following provision:-

Substitutionof Sub-section (1) of Section-12

12 (1) "The Pro- Vice- Chancellor shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government in the same manner as prescribed for appointment of Vice-Chancellor."

9. **Substitution of Sub-section-(13) of Section-18 ofJharkhand State Universities ACT, 2000 (Adapted and as Amended)**

Existing provision of Sub-section (13) of Section-18

"Every person who has given to the satisfaction of the Chancellor whether in one or more installments, a sum of not less than one lac rupees in cash or in the shape of property of the equivalent value to or for the purposes of the University or of a College.

Provided that for being a life member of the Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University, the fixed amount shall be twenty-five thousand rupees."

Be substituted by the following provision:-

Substitutionof Sub-section (13) of Section-18

18 (13) "For being a life member of Senate of the University, every person who has given to the satisfaction of the Chancellor, a sum of not less than ten lakh rupees in cash or in the shape of property of the equivalent value to or for the purposes of the University or of a College."

10. **Substitution of the following part of Section-57A Sub-section-(1) ofJharkhand State Universities ACT, 2000 (Adapted and as Amended)**

"Appointment of teachers of affiliated Colleges not maintained by the State Government shall be made by the Governing Body on the recommendation of the Jharkhand Public Service Commission. Dismissal, termination, removal, retirement from service or demotion in rank of teacher of such colleges shall be done by the Governing Body in consultation with the Jharkhand Public Service Commission in the manner prescribed by the Statutes:

Provided that the Governing Bodies of affiliated Minority Colleges based on religion and language shall appoint, dismiss, remove or terminate the services of teachers or take

disciplinary action against them with the approval of the Jharkhand Public Service Commission.

Provided further that the advice of the Jharkhand Public Service Commission shall not be necessary in cases involving censure, stoppage of increment or crossing of efficiency bar and suspension till investigation of charges is completed."

Be substituted by the following provision:-

Substitutionof the above part in Sub-Section (1) of Section-57A

"Appointment of teachers of affiliated Colleges not maintained by the State Government shall be made by the Governing Body on the recommendation of the Jharkhand Public Service Commission. Dismissal, termination, removal, retirement from service or demotion in rank of teacher of such colleges shall be done by the Governing Body in consultation with the Jharkhand Public Service Commission in the manner prescribed by the Statutes.

Provided that the Governing Bodies of affiliated Minority Colleges based on religion and language shall appoint, dismiss, remove or terminate the services of teachers or take disciplinary action against them with the approval of the Jharkhand Public Service Commission.

Provided also that in case of affiliated colleges not maintained by the State Government including Religious and Linguistic Minority Colleges, the promotion of teachers shall be made on the recommendation of Jharkhand Public Service Commission.

Provided further that the advice of the Jharkhand Public Service Commission shall not be necessary in cases involving censure, stoppage of increment or crossing of efficiency bar and suspension till investigation of charges is completed."

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, रांची |

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 127 -- 50